UPJL010013732026

Presented on : 09-03-2026
Registered on : 09-03-2026
Decided on : 11-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 2 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)

Bail Application/3000025/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–25/2026

शफीक अहमद कादरी, पुत्र स्व. बसीर अहमद कादरी, निवासी मुहल्ला तिलक नगर, उरई, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन। ....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ....लोक अभियोजक

सत्र परीक्षण सं.–85/2024
परिवाद सं.–170/2023
धारा–386, 504, 392 भा.दं.सं.
थाना–कोतवाली उरई, जिला जालौन।

दिनांक–11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त शफीक अहमद कादरी, पुत्र स्व. बसीर अहमद कादरी, निवासी मुहल्ला तिलक नगर, उरई, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 85/2024, परिवाद सं. 170/2023, अन्तर्गत धारा 386, 504, 392 भा.दं.सं., थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के पैरोकार सलमान कादरी का शपथपत्र संलग्न किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है, प्रार्थी ने कोई जुर्म नहीं किया है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी से वादिनी मुकदमा इमाम चौक के बावत रंजिश मानती थी, जिसका आपसी समझौता वादिनी मुकदमा व उसके पति के मध्य दिनांक 31.10.2025 हो गया था, इसके बावजूद वादिनी मुकदमा कभी स्वयं व कभी अपने नजदीकी लोगों से प्रार्थी के खिलाफ झूंठे मुकदमें लिखवा देती है। प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा व उसकी मां के साथ कोई उद्दापन व जान से मारने की धमकी नहीं दी और न तमन्चा लगाकर भय दिखाया है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 156(3) सी.आर.पी.सी. का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर थाना कोतवाली उरई की पुलिस से आख्या आहूत की गई थी, जिसमें कोतवाली पुलिस ने उक्त घटना को जांच में घटना घटित होना नहीं पाया तथा विवादित इमाम चौक के वावत मूलवाद सं. 449/13 वादिनी मुकदमा द्वारा आपसी समझौता के आधार पर वापस ले लिया गया था। प्रार्थी कोतवाली उरई की जांच रिपोर्ट जमानत प्रार्थनापत्र के साथ

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.03.11 15:45:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संलग्न कर रहा है। थाना कोतवाली उरई की आख्या दिनांक 28.10.2023 आने पर उक्त 156(3)सी.आर.पी.सी. के मुकदमें को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें 200 सी.आर.पी.सी. व 202 सी.आर.पी.सी. के बयानों के बाद प्रार्थी को दिनांक 28.05.2024 को जरिए समन तलब किया गया, प्रार्थी दिनांक 16.01.2025 से जिला कारागार उरई में निरूद्ध है। प्रार्थी के सहअभियुक्त विकार हैदार आदि की अग्रिम जमानत मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 25.11.2024 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को दौरान विचारण जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत निरस्त करने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी काशमीन खान द्वारा अभियुक्तगण विकार हैदर, शफीक अहमद कादरी, ग्यासउद्दीन उर्फ नौसे, शाहिद अली, मोहम्मद अब्बास, गुलफाम हुसैन, आशिक हुसैन व शाने हैदर के विरूद्ध परिवाद संख्या 170/23 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें परिवादिनी तथा उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के समस्त साक्ष्यों के अवलोकन उपरांत न्यायालय के तलबी आदेश दिनांकित 28.05.2024 से अभियुक्तगण विकार हैदर, शफीक अहमद कादरी एवं ग्यासउद्दीन उर्फ नौसे को धारा 386, 506, 392 भा.दं.सं. एवं अभियुक्तगण शाहिद अली, मोहम्मद अब्बास, गुलफाम हुसैन, आशिक हुसैन व शाने हैदर को धारा 386, 506 भा.दं.सं. के तहत विचारण हेतु तलब किया गया था। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण परिवाद मामले पर आधारित है। अभियुक्त पर आरोपित धारायें 10 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्त के अतिरिक्त शेष सभी सहअभियुक्तगण की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं, जबकि मात्र अभियुक्त शफीक अहमद कादरी दिनांक 16.01.2025 से अर्थात एक वर्ष से भी अधिक समय से जिला कारागार में निरूद्ध चल रहा हैं। उक्त परिवाद की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित चल रही थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गत दिनांक 25.09.2025 को समाप्त किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध थाने द्वारा कोई आपराधिक इतिहास प्रेषित नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त की लंबी अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित होगा। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शफीक अहमद कादरी, पुत्र स्व. बसीर अहमद कादरी, निवासी मुहल्ला तिलक नगर, उरई, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 85/2024, परिवाद सं. 170/2023, अन्तर्गत धारा 386, 504, 392 भा.दं.सं., थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुव. 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ा जाता है:–

1. अभियुक्त दौरान विचारण गवाहों को डरायेगा व धमकायेगा नहीं तथा प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2. प्रार्थी दौरान विचारण साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगा, न ही अभियोजन साक्षी पर कोई दबाव डालेगा, न उन्हें भयभीत करेगा।

3. प्रार्थी इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि नियत तिथि पर साक्ष्य हेतु जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा, तब प्रार्थी के द्वारा स्थगन नही लिया जायेगा तथा प्रार्थी हर नियत तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहेंगा। यदि प्रार्थी बिना कारण समुचित कारण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा तो न्यायालय द्वारा धारा 229ए आई.पी.सी. के तहत कार्यवाही की जायेगी।

4. प्रार्थी नियत तिथि पर यदि अकारण न्यायालय में अनुपस्थित रहता हैं तो न्यायालय द्वारा नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

इस जमानत आदेश में दिये गये निष्कर्षों का कोई प्रभाव विचारण पर नहीं होगा।

दिनांकः–11.03.2026

(डा0 अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.),
जालौन स्थान उरई।